न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 963 / 2022

अनवान : —

1. हनुमान प्रसाद पुत्र शंकर लाल जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. तुलछा पत्नी शंकरलाल जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

—वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र गोदारा **वादी**
राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः 24/01/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर केक जमाबंदी सम्वत् 2077—2080 के खाता स0 103 / 103 के खसरा न0 48 की कुल 11.3800 हैक्ट भूमि में से वादी स0 1 हनुमान प्रसाद के 13731 / 113800 हिस्सा भूमि व वादीया स0 2 तुलछा के 1361 / 28450 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी स0 1 का नाम हनुमान पुत्र शंकरलाल दर्ज है तथा वादीया स0 2 का तुलछी पत्नी शंकरलाल दर्ज है। जबकि वादी स0 1 व वादीया स0 2 के सभी दस्तावेजों में वादी स0 1 का नाम हनमान प्रसाद पुत्र शंकरलाल है एवं वादी स0 2 का नाम तुलछा पत्नी शंकरलाल है। लेकिन संवहन से राजस्व रिकार्ड में वादी स0 1 का नाम हनुमान प्रसाद की जगह हनुमान एवं वादीया स0 2 का नाम तुलछा की जगह तुलछी दर्ज हो गया, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के सही नाम दर्ज न होने के कारण वादीगण अपनी खातेदारी का सही उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी स0 1 अपना नाम हनुमान की जगह हनुमान प्रसाद एवं वादीया स0 2 तुलछी की जगह तुलछा सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी स0 1 का सही नाम हनुमान प्रसाद पुत्र शंकरलाल एवं वादीया स0 2 का सही नाम तुलछा पत्नी शंकरलाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में वादी स0 1 का नाम हनुमान एवं वादीया स0 2 का नाम तुलछी दर्ज हो गया जिससे वादीगण को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादीया अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादीगण के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड व रिपॉर्ट सरपंच ग्राम पंचायत नगरासरी आदि में वादी स0 1 का नाम हनुमान प्रसाद पुत्र शंकरलाल एवं वादीया स0 2 का नाम तुलछा पत्नी शंकरलाल ही दर्ज है। अतः मुताबिक वादीगण के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी स0 1 का नाम हनुमान पुत्र शंकरलाल के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र शंकरलाल व वादीया स0 2 का नाम तुलछी पत्नी शंकरलाल के स्थान पर तुलछा पत्नी शंकरलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादीगण ने रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता स0 103 / 103 के खसरा न0 48 की कुल 11.3800 हैक्ट भूमि में से वादी स0 1 हनुमान प्रसाद के 13731 / 113800 हिस्सा भूमि व वादीया स0 2 तुलछा के 1361 / 28450 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी स0 1 का नाम हनुमान तथा वादीया स0 2 का नाम तुलछी दर्ज है जिसमें वादी स0 1 ने अपना नाम हनुमान के स्थान पर उसका सही नाम हनुमान प्रसाद एवं वादीया स0 2 ने तुलछी के स्थान पर उसका सही नाम तुलछा दर्ज करवाने का निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में वादी स0 1 का नाम हनुमान प्रसाद एवं वादीया स0 2 का नाम तुलछा दर्ज है तथा ग्राम पंचायत नगरासरी रिपॉर्ट के अनुसार वादी स0 1 का नाम हनुमान प्रसाद एवं वादीया स0 2 का नाम तुलछा सही होना अंकित है एवं तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक , पटवारी हल्का ललानिया द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादीगण का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता स0 103 / 103 के खसरा न0 48 की कुल 11.3800 हैक्ट भूमि में से वादी स0 1 के 13731 / 113800 हिस्सा भूमि व वादीया स0 2 के 1361 / 28450 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है,, जिसमें वादी स0 1 का नाम हनुमान पुत्र शंकरलाल एवं वादीया स0 2 तुलछी पत्नी शंकरलाल दर्ज है, में **हनुमान पुत्र शंकरलाल के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र शंकरलाल तथा वादीया स0 2 तुलछी पत्नी शंकरलाल के स्थान पर तुलछा पत्नी शंकरलाल** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था,

पखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested

किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि हनुमान पुत्र शंकरलाल व तुलछी पत्नी शंकरलाल के नाम से हो तो उसके लिए वादीगण का नाम हनुमान पुत्र शंकरलाल व तुलछी पत्नी शंकरलाल ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 963/2022

अनवान : –

1. हनुमान प्रसाद पुत्र शंकर लाल जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. तुलछा पत्नी शंकरलाल जाति नायक निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2077–2080 के खाता स0 103/103 के खसरा न0 48 की कुल 11.3800 हैक्ट भूमि में से वादी स0 1 के 13731/113800 हिस्सा भूमि व वादीया स0 2 के 1361/28450 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी स0 1 का नाम हनुमान पुत्र शंकरलाल एवं वादीया स0 2 तुलछी पत्नी शंकरलाल दर्ज है, में **हनुमान पुत्र शंकरलाल के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र शंकरलाल तथा वादीया स0 2 तुलछी पत्नी शंकरलाल के स्थान पर तुलछा पत्नी शंकरलाल** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि हनुमान पुत्र शंकरलाल व तुलछी पत्नी शंकरलाल के नाम से हो तो उसके लिए वादीगण का नाम हनुमान पुत्र शंकरलाल व तुलछी पत्नी शंकरलाल ही लागू होगा। नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested